पत्रांक-भवन/बजट-65-योजना-(विधि विभाग)-04/2019-20....... 1459 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

दिनांक- 18.2.2020

विषय- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नवादा के आवास के निर्माण कार्य के लिए राज्यांश मद अन्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2019-20** कुल **₹ 43,69,200/-(तैंतालीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ रूपए)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

महाशय,

विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-947 दिनांक-04.02.19 के द्वारा विषयांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना के आलोक में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नवादा के आवास के निर्माण कार्य के लिए राज्यांश मद में कुल **₹ 43,69,200/-(तैंतालीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ रूपए)** मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2019-20** में प्रदान की जाती है।

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन, लघुशीर्ष-700-अन्य आवास, उपशीर्ष-0306-ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास **विपत्र कोड-03-4216017000306** के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0306.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2019-20** में किया जायेगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी **उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,** भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जायेगा।
7. उक्त राशि **बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना के पी.एल. खाता संख्या-238, (पी०एल० कोड-सी.एफ.एम.एस. के लिए-PNBPLA007) विपत्र कोड-के. 8448001200017** में स्थानान्तरित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

13/2/20

(अमित कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

P.T.O

ज्ञापांक- 1459 (अ) दिनांक- 18.2.2020

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/2/xx

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 1459 (अ) दिनांक- 18.2.2020

प्रतिलिपि-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, संबंधित/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/2/xx

सरकार के संयुक्त सचिव।